तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
23/5/25	पत्रावली पेश हुई। आवाज दिलाई गई। किन्तु अपीलान्ट/अपीलान्ट वकील हाजिर अदालत नही आये। अतः अपीलान्ट/अपीलान्ट वकील की अनुपस्थिति मे अपील अपीलान्ट अदम हाजरी/अदम पैरवी मे खारिज की जाती है। बाद पूर्ति जमा लेख मण्डार हो। उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा (अलवर)